भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2674
05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः एमएसपी की कानूनी स्थिति

2674. श्री बाबू सिंह कुशवाहाः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा दिए जाने की किसानों की मांग जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस संबंध में किसानों के साथ बातचीत के बाद कोई कानून लाने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई कार्ययोजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): प्रत्येक वर्ष, सरकार राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर, किसी क्षेत्र या राज्य-विशिष्ट के बजाय संपूर्ण देश के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना पर बनाए रखने के पूर्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफे के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की, जिससे पूरे देश के किसान लाभान्वित हुए हैं।

खरीद के आंकड़ों और किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि से यह स्पष्ट है कि बढ़ी हुई एमएसपी से किसानों को लाभ हुआ है। वर्तमान वर्ष सहित विगत पांच वर्षों के दौरान खरीद और किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि का विवरण अनुबंध पर दिया गया है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए 12 जुलाई 2022 को एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति की विषय-वस्तु में (i) कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की व्यवहार्यता पर सुझाव तथा इसे अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय, तथा (ii) देश की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुसार कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, ताकि घरेलू एवं निर्यात अवसरों का लाभ उठाकर किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के माध्यम से उन्हें अधिक मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। इस समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं तथा अब तक 6 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न उप-समितियों की 39 बैठकें भी आयोजित की जा चुकी हैं।

(घ): स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर, वर्ष 2007 में, एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया, जिसने सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाने हेतु 201 कार्य-बिंदुओं की सिफ़ारिश की गई थी। इन सभी 201 कार्य-बिंदुओं को कार्यान्वित किया जा चुका है।

अनुबंध

दिनांक 05.08.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2674 के भाग (क) से (ग) तक के संबंध में उल्लिखित अनुबंध

एमएसपी फसलों की खरीद और एमएसपी राशि

सभी एमएसपी फसलें	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*
कुल खरीद (एलएमटी में)	1,368	1,083	1,118	1,089	1,175
कुल एमएसपी मूल्य (लाख करोड़ में)	2.91	2.25	2.47	2.63	3.33

*30.06.2025 तक

******